

तारीख  
हकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स .जज

नम्बर व  
अहकाम  
हुकम की  
में जारी

28/8/24

प्रा0 पत्र 102/2024  
दिनांक - 28/8/24

पत्रावली पेश हुयी । पत्रावली में बहस सुनी गई दौरानें बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुये कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावें। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबित राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम श्यामपुरा पटवार हल्का केहरपुरा कला के भूमि खसरा नं0 194 रकबा 2.31 है0, खसरा नं0 297 रकबा 0.98 है0 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबित सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढी स्वीकार कियें जाने योग्य है।

### आदेश

प्रा0 पत्र 102/2024

निर्णय दिनांक 28.08.2024

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चिडावा को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम श्यामपुरा में स्थित खसरा नं0 194 रकबा 2.31 है0, खसरा नं0 297 रकबा 0.98 है0 की प्रार्थी व सहखातेदार व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबित सीमाज्ञान दिनांक 28.06.2021 पत्थरगढी की जावे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवानें अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। तहसीलदार चिडावा को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

चिडावा

उप खण्ड अधिकारी

चिडावा जिला डुन्धुनू (राज.)